"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 मार्च 2014—फाल्गुन 13, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-8/18/2011. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण,निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013 के नियम 10 के उप नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है, कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों की पहचान हेतु वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा रु. 1,00,001 से रु. 2,00,000 (एक लाख एक रुपये से दो लाख रुपये) तक होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ 7-8/18/2011. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/18/2011, दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F 7-8/18/2011. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (7) of Rule 10 of Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013, the State Government, hereby, prescribes the income criteria for persons belonging to the low income group and it shall be as follows, namely :-

"Rs.1,00,001/- to Rs. 2,00,000/- (Rupees one lakh and one to Rupees Two Lakhs only) family income per annum.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.